



# Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004  
Phone : 0141-2716805, 2716814 e-mail : [member-secretary@rpcb.nic.in](mailto:member-secretary@rpcb.nic.in)

## विज्ञप्ति सूचना


राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों (GF&AR) के सृजन हेतु एक मुश्त पारिश्रमिक पर परामर्शी सेवार्यें लेने हेतु।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के सृजन का कार्य करने के लिये राजस्थान लेखा सेवा के सेवानिवृत्त कार्मिक की परामर्शी सेवार्यें एक मुश्त पारिश्रमिक पर लेने हेतु आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं। इच्छुक सेवानिवृत्त कार्मिक अपना आवेदन सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य पूर्ण करने की अवधि	संपूर्ण कार्य की अनुमानित लागत राशि	आवेदन जमा कराने की अन्तिम तिथि	आवेदन खोलने का समय व तिथि
1.	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों (GF&AR) का सृजन।	3 माह	2.00 लाख	06.07.2020 अपराह्न 3.00 बजे तक	06.07.2020 सांय 5.00 बजे तक

विज्ञप्ति की शर्तें एवं प्रपत्र राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर के कार्यालय : 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाणा डूंगरी, जयपुर से अथवा वेबसाईट <http://environment.rajasthan.gov.in/rpcb> तथा <http://sppp.rajasthan.gov.in> पोर्टल पर देखे व डाउनलोड किये जा सकते हैं।

UBN No. ....

  
(डा. विजय सिंहल)  
सदस्य सचिव



# Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004  
Phone : 0141-2716805, 2716814 e-mail : [member-secretary@rpcb.nic.in](mailto:member-secretary@rpcb.nic.in)

## विज्ञप्ति का विस्तृत विवरण एवं शर्तें

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों (GF&AR) के सृजन हेतु एक मुश्त पारिश्रमिक पर कार्य करने हेतु।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियमों के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के सृजन का कार्य करने हेतु एक मुश्त पारिश्रमिक पर आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं। सेवानिवृत्त कार्मिक अपना आवेदन दिनांक 06.07.2020 को अपराह्न 3.00 बजे तक सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को प्रस्तुत करें। इस हेतु विस्तृत विवरण, शर्तें एवं आवेदन पत्र का प्रारूप निम्नानुसार है।

### क. कार्य का विवरण:-

वित्तीय नियम एवं प्रक्रिया जिसमें धन राशि की प्राप्ति/व्यय, भुगतान लेखों का संधारण, संविदा के सामान्य सिद्धांत दुर्वियोजन, कपट एवं हानियाँ राजस्व पद्यापित के सामान्य नियम, मण्डल भवनों, भूमियों का किराया, राशि की अभिरक्षा, स्वीकृति की शक्तियाँ, भुगतान संबंधी अनुदेश, कार्यभार, सेवा अभिलेखों, बिलों की कटौती, अग्रिम लेखों/अनुदान के लेखों की विधि, सामान की खरीद एवं सामान की प्राप्ति, सामानों की अभिरक्षा एवं लेखांकन, सामान का निर्गम, अनुपयोगी सामान और उनके नीलामी की प्रक्रिया, विभिन्न स्तर के अधिकारियों को कार्य निष्पादन हेतु वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन आदि। इसके अतिरिक्त राज्य मण्डल प्रशासन द्वारा वित्तीय एवं लेखा नियमों से संबंधित अन्य अनुदेश इत्यादि का समावेश करते हुये राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों (GF&AR) का सृजन।

### ख. कार्य का अनुमानित पारिश्रमिक:-

सम्पूर्ण कार्य हेतु एकमुश्त कुल राशि रुपये 2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र) एवं नियमानुसार जी.एस.टी. अतिरिक्त देय।

### ग. शर्तें:

1. उपरोक्त कार्य करने की अवधि, कार्य आदेश जारी करने की तिथि से **3 माह** है।
2. राजस्थान लेखा सेवा का सेवानिवृत्त अधिकारी जो वरिष्ठ लेखाधिकारी से कम स्तर का ना हो, पात्र होगा।
3. उक्त कार्य हेतु राजस्थान सरकार के विभागों/निगमों/मण्डल/स्वायत्तशासी संस्थाओं में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों(GF&AR), राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012(RTPP Act) लेखा नियमों से संबंधित कार्य करने का अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक को प्राथमिकता दी जावेगी।



# Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004  
Phone : 0141-2716805, 2716814 e-mail : [member-secretary@rpcb.nic.in](mailto:member-secretary@rpcb.nic.in)

4. राज्य मण्डल स्तर से प्रारूप में किसी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन चाहने पर तदानुसार प्रारूप में संशोधन करना होगा।
5. कार्य के पारिश्रमिक का भुगतान दो बार में किया जावेगा। प्रथम बार कार्य प्रारम्भ करने के 45 दिवस पश्चात् राशि 25 प्रतिशत तथा शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान नियमों का प्रारूप मण्डल स्तर से स्वीकार करने पर किया जावेगा।
6. नियमानुसार टैक्स कटौती करने के पश्चात् ही भुगतान किया जावेगा।

(डा. विजय सिंघल)  
सदस्य सचिव

## आवेदन पत्र का प्रारूप

सदस्य सचिव,  
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,  
4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डुगरी,  
जयपुर।

विषय:- राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों (GF&AR) का सृजन।

संदर्भ:- आप द्वारा जारी विज्ञप्ति सूचना दिनांक .....

महोदया,

उपरोक्त विज्ञप्ति के क्रम में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों (GF&AR) के सृजन करने हेतु अद्योहस्ताक्षरकर्ता/संस्था अपनी सेवार्यें देने का इच्छुक है।

1. आवेदक का नाम.....
2. सेवानिवृत्ति के समय धारित पद का नाम .....
3. सेवानिवृत्ति दिनांक .....
4. दूरभाष/मोबाईल नम्बर.....
5. सेवानिवृत्ति के समय पदस्थापित विभाग का नाम .....
6. अनुभव का संक्षिप्त विवरण.....  
.....  
.....
7. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों (GF&AR) के सृजन का समस्त कार्य करने के लिए कुल पारिश्रमिक की वांछित राशि.....(अक्षरे.....).

### वचनबद्धता

मैं शपथ पूर्वक अभिपुष्टि करता हूँ कि ऊपर प्रस्तुत की गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही है, इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। मैं यह भी वचन देता हूँ कि उपरोक्त कार्य हेतु चयन की स्थिति में मैं अपनी उम्मीदवारी को वापिस नहीं लूँगा/लूँगी अथवा प्रस्तावित किये जाने पर कार्य को अस्वीकार नहीं करूँगा/करूँगी।

आवेदक के हस्ताक्षर